डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए · अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 अगस्त 2001—भाद्र 3, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1741/एफ-10/334/2001/वाक-पांच (40).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (1995 का क्रमांक 5), की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए 3/28-2000-वा.क./पांच (28) दिनांक 13-4-2000 में पुन: निम्नलिखित अनुसार संशोधन करता है :—

संशोधन

1. अधिसूचना के अनुक्रमांक 5 के कॉलम नंबर 4 में शब्द "मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम" के स्थान पर "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड" तथा शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जावे.

2. कॉलम नंबर 4 में शब्द "विभाग को" के पश्चात् शब्द "तथा छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग को" जोड़ा जावे.

3. अधिसूचना के संलग्न अपेंडिक्स में शब्द "मध्यप्रदेश" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" प्रतिस्थापित किया जावे.

उपरोक्त संशोधन दिनांक 1-4-2001 से प्रभावशील माना जावेगा.

Raipur, the 20th August 2001

NOTIFICATION

No. 1741/F-10/334/2001/CT/V (40) .—In exercise of powers conferred under Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendments in this department Notification No. A-3/28-2000-ST-V (28) Dated 13-4-2000 :—

AMENDMENT

(1) In column number 4 of serial number 5 of the notification in place of the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam" the words "Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Limited" and in place of word "Madhya Pradesh" the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

(2) In column 4 after the word "departments" the words "and Chhattisgarh Human Rights Commission" shall be inserted.

(3) In the appendix attached to the notification the word "Chhattisgarh" in place of the words "Madhya Pradesh" shall be substituted above amendments shall come into effect from 01-04-2001.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.